छाया प्रतिलिपि आदेश दिनांक 3/6/2013 वाद सं० 25 धारा 143 ... रणविजय बनाम ... ग्राम - चौखट परगना महादेवा तहसील तरबगंज - गोण्डा तारीख 3/6/13

न्यायालय उपजिलाधिकारी तरबगंज, गोण्डा।

वाद सं. 25

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०
ग्राम--चौखट,परगना--महादेवा
तहसील- तरबगंज,जनपद गोण्डा।

रणविजय सिंह वनाम [illegible]

श्री रणविजय सिंह पुत्र श्री पृथ्वीपाल सिंह प्रबन्धक पी०पी०सिंह स्मारक एजुकेशन कालेज चौखट तुर्कांडीहा वजीरगंज द्वारा संचालित दीपराजी सिंह सेवा संस्थान पुरेखुर्दहा निवासी ग्राम मोहनपुर परगना महादेवा तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 जेड.ए.एक्ट के तहत दिनांक 18.05.13 को [illegible] कर याचना किया है कि भूमि गाटा संख्या 800 / 1.5930 हे० में से रकबा 0.3240 हे० स्थित ग्राम चौखट परगना महादेवा तहसील तरबगंज जिला गोण्डा [illegible] व दखील है प्रार्थी अपने गाटे मे से 0.3240 हे0 क्षेत्रफल पर विद्यालय निर्माण [illegible] न्यायहित में उक्त गाटे के 0.3240 हे0 भूमि को व्यवसायिक / अकृषिक भूमि घोषित किया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार तरबगंज से कराई गई तहसीलदार तरबगंज ने अपनी आख्या दिनांक 28.05.13 में उल्लिखित किया है कि गाटा सं.800 / 1.5930 हे0 मे से रकबा 0.3240 वर्गमीटर भूमि पी0पी0सिंह स्मारक एजुकेशन कालेज चौखट तुर्कांडीहा वजीरगंज संचालित द्वारा दीपराजी सिंह सेवा संस्थान ग्राम पूरेखुर्दहा द्वारा प्रबन्धक रणविजय सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह व सचिव रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह निवासी मोहनपुर के नाम दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि पर विद्यालय का निर्माण हो रहा है। सम्पूर्ण भूखण्ड वर्तमान में अकृषिक रूप में प्रयोग हो रहा है। गाटा सं.800 मे 0.3240 वर्गमीटर भूखण्ड को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई है। नियमानुसार नोटिस जारी की गई जो वाद [illegible] कोई आपत्ति नही आयी।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक [illegible] किया गया। ग्राम चौखट में स्थित भूमि गाटा संख्या 800 / 1.5930 मे से 0.3240 हे0 भूमि पर उक्त विद्यालय निर्माणाधीन होने से भूमि [illegible] भूमि गाटा संख्या 800 / 1.5930 मे से 0.3240 हे0 को व्यवसायिक [illegible] अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही है।

अतः ग्राम चौखट परगना महादेवा तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में स्थित भूमि गाटा संख्या 800 / 1.5930 मे से 0.3240 वर्गमीटर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। वाद परवाना अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्य प्रतिलिपि
3/6/13
तरबगंज (गोण्डा) दिनांक-

(उपजिलाधिकारी)
3/6/2013

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 6/6/13
प्रार्थना पत्र की संख्या 157
... का दिनांक 7/6/13
... की तारीख 7/6/13
... 6-0
... वाले कर्मचारी

प्रतिलिपि कर्ता
तुलनाकर्ता
7/6/13

अध्यक्ष
दीप राजी सिंह सेवा संस्थान
पूरे खुर्दहा, कोठा, चन्दापुर
वजीरगंज- गोण्डा